

\*प्रेस नोट\*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) वाराणसी व क्षेत्राधिकारी सदर वाराणसी के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 01.10.2020 को थाना लोहता पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 199/18 धारा 147/148/332/353/504/506/323/342/394 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट एवं मु0अ0सं0 200/18 धारा 147/148/323/342/394/504/506 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अब्दुल मतीन उर्फ रोहन उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र स्व0 मो0 यासीन निवासी म0नं0 सी 14/48 काजीपुरा खुर्द थाना सिगरा वाराणसी को मलदहिया चौराहे से समय करीब 09.05 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना लोहता पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

- अब्दुल मतीन उर्फ रोहन उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र स्व0 मो0 यासीन निवासी म0नं0 सी 14/48 काजीपुरा खुर्द थाना सिगरा वाराणसी।

\*आपराधिक इतिहास-\*

1. मु0अ0सं0 199/18 धारा 147/148/332/353/504/506/323/342/394 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना लोहता वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 200/18 धारा 147/148/323/342/394/504/506 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना लोहता वाराणसी।

\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

- थानाध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह, उ0नि0 सन्दीप पाण्डेय, का0 शिवजी गुप्ता व का0 अरूण कुमार थाना लोहता वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा दोहरे हत्याकाण्ड में प्रयुक्त वाहन व प्रयुक्त असलहा बरामद

दिनांक 28.08.2020 को चौकाघाट दोहरे हत्याकाण्ड में शामिल अभियुक्त विजेन्द्र सिंह उर्फ बब्बू पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी ग्राम पहाड़ी पट्टी थाना केराकत जौनपुर को दिनांक 30.09.2020 को उ0नि0 विनय तिवारी थाना जैतपुरा द्वारा 24 घण्टे की पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लाया गया था। थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा अभियुक्त विजेन्द्र सिंह उर्फ बब्बू उपरोक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद पिस्टल .32 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस एवं एक अदद मोटर साइकिल सुपर स्प्लेण्डर संख्या- UP 62 AW 5089 चेसिस नं0 MBLJA05EMG9B04403 , इंजन नं0 JA05ECG9B32892 रंग काला बरामद किया गया।

विवरण बरामदगी –

विजेन्द्र सिंह उर्फ बब्बू की निशानदेही पर –

- 1- घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल सुपर स्प्लेण्डर UP 62 AW 5089 चेसिस नं0 MBLJA05EMG9B04403, इंजन नं0 JA05ECG9B32892 व रंग काला ।
- 2- घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिस्टल .32 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस ।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

**\*प्रेस नोट\***

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेश के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी भेलूपुर के नेतृत्व में दिनांक 01.10.2020 को थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर शिवाला पर स्थित मदर टेरेसा आश्रम के पास से 02 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम-पता पूछने पर दोनों ने अपना नाम क्रमशः (1) मोहम्मद सलमान पुत्र मोहम्मद अहमद निवासी बी 11/47 गौरीगंज अहाता रुहेला थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र 26 वर्ष व (2) मुकेश गुप्ता पुत्र लाल चन्द गुप्ता निवासी म0नं0 बी 3/327 शिवाला थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी उम्र 32 वर्ष बताया। पकड़े गये व्यक्तियों के कब्जे से चोरी के कुल 07 अदद मोबाईल फोन बरामद हुये। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 491/2020 धारा 41/411/414 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-\***

1. मोहम्मद सलमान पुत्र मोहम्मद अहमद निवासी बी 11/47 गौरीगंज अहाता रुहेला थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र 26 वर्ष
2. मुकेश गुप्ता पुत्र लाल चन्द गुप्ता निवासी म0नं0 B 3/327 शिवाला थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी उम्र 32 वर्ष

**\*गिरफ्तारी का समय व स्थान-\***

- समय करीब 01.50 बजे व शिवाला पर स्थित मदर टेरेसा आश्रम के पास से

**\*बरामदगी का विवरण-\***

**1. \*अभियुक्त मोहम्मद सलमान उपरोक्त के कब्जे से-\***

- I. सैमसंग कीपैड मोबाईल IMEI.354455101993788 रंग गोल्डेन ब्लैक
- II. सैमसंग कीपैड मोबाईल IMEI.353348106740612
- III. वीवो कम्पनी का टच स्क्रीन मोबाईल IMEI861218046065039, 861218046065021
- IV. सैमसंग कम्पनी का टच स्क्रीन मोबाईल IMEI 353573092653186, 353574092653184 रंग रोज गोल्ड ब्लैक

**2. \*मुकेश गुप्ता उपरोक्त के कब्जे से-\***

- I. एप्पल आई फोन कम्पनी का टच स्क्रीन मोबाईल IMEI 355673074526372 रंग रोज गोल्ड व्हाइट
- II. रियलमी कम्पनी का टच स्क्रीन मोबाईल रंग नीला

III. सैमसंग कम्पनी का टच स्क्रीन मोबाईल IMEI 353202069116932,  
353203069116930 रंग काला

### गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार श्रोतिया, उ०नि० दीपक कुमार चौकी प्रभारी अस्सी, उ०नि० गौरव उपाध्याय, का० सूर्यनाथ यादव, का० शक्तिवेन्द्र यादव व का० मनोज साहू थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 01.10.2020 को थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर पंचकोशी रोड पर चौरा माता मन्दिर के पास से एक महिला अभियुक्ता को समय करीब 07.25 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 24 पुड़िया नाजायज हेरोइन व 400 रुपये नगद बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 171/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-\*

- एक अभियुक्ता।

\*बरामदगी का विवरण-\*

- 24 पुड़िया नाजायज हेरोइन व 400 रुपये नगद

\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

- उ0नि0 राजकुमार पाण्डेय, उ0नि0 आदित्य कुमार सिंह, हे0का0 विजय कुमार सिंह, का0 कमल सिंह, का0 अजय कुमार यादव व म0का0 कमलेश कुमारी थाना लालपुर-पाण्डेयपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 01.10.2020 को जिलाधिकारी वाराणसी के आदेश दिनांक 26.09.2020 के अनुपालन में थाना जंसा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0062/2020 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त मनोज कुमार सिंह पुत्र निखदी सिंह ग्राम भतसार थाना जन्सा जनपद वाराणसी की अवैध गतिविधियों से अर्जित सम्पत्ति द्वारा क्रय की गई मोटरसाईकिल HERO HF DELUXE संख्या UP 65 DF 0449 कीमत 50,000/- रुपये को कब्जे में लेकर नियमानुसार कुर्क किया गया।

\*कुर्क की गई सम्पत्ति-\*

- मोटरसाईकिल HERO HF DELUXE संख्या UP 65 DF 0449 कीमत 50,000/- रुपये।

\*पुलिस टीम का विवरण-\*

- प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार सिंह, उ0नि0 मो0 शाबान प्रभारी चौकी रामेश्वर, का0 रामजी यादव व का0 हरिशंकर यादव थाना जंसा वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

\*प्रेस नोट\*

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरूरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 01-10-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए \*कुल 33 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी\* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा \*192 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम\* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए \*कुल 3009 वाहनों का चालान, 24 वाहनों को सीज तथा 310 वाहनों से ₹0-2,80,500/- समन शुल्क वसूल\* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 01-10-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये \*कुल 2150 व्यक्तियों से ₹0-1,33,450/- जुर्माना\* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।